	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09-07-19	अधिवक्ता वादीगण उपस्थित। प्रति तहसीलदार, सोजत एवं उपस्थित। जवाब प्रार्थना पत्र पेश करने का समय चाहा है, समय दिया जाता है। अधिवक्ता वादीगण साक्ष्य के हलफनामा व शपथ-पत्र पेश करने का समय चाहा है, समय दिया जाता है। पत्रावली आवश्यक दिनांक 30-07-2019 को पेश हो। SDO, Sojat.	
30-07-19	अधिवक्ता वादीगण उपस्थित। प्रति तहसीलदार, सोजत से उपस्थित। प्रति तहसीलदार, सोजत ने जवाब पेश किया, जिसकी प्रति [illegible] अधिवक्ता वादीगण को [illegible] पत्रावली वादीगण का [illegible] दिनांक 20-08-2019 को पेश हो। आवश्यक SDO, Sojat.	
20-08-19	अधिवक्ता वादीगण उपस्थित। प्रति तहसीलदार, सोजत उपस्थित। अधिवक्ता वादीगण ने प्रार्थित भाग [illegible] साक्ष्य शपथ-पत्र पेश करने का समय चाहा है, समय दिया जाता है। पत्रावली आवश्यक दिनांक 09-09-2019 को पेश हो। SDO, Sojat.	जवाबदावा प्राप्त.
09-09-19	[illegible] उपस्थित। आज श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त है/भ्रमण पर है/अवकाश पर है। अतः यहां इत्तला होकर पत्रावली दिनांक 30/09/19 को पेश हो। रीडर उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट सोजत	
30-09-19	अधिवक्ता वादीगण उपस्थित। अधिवक्ता वादीगण ने प्रार्थित भाग बाबत साक्ष्य में वादी मूलचन्द, मोहनलाल, साक्ष्य सबूत वादी [illegible] के तौर पर शपथ-पत्र प्रस्तुत किये तथा [illegible] पेश किये, शामिल पत्रावली किया गया। बहस अधिवक्ता वादीगण एवं तहसीलदार, (राजस्व) सोजत सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण ने राजस्थान [illegible] अंतर्गत धारा 88 RT Act, 1955 एवं [illegible] धारा 136 LR Act, 1956 का [illegible] पेश किया है कि खसरा [illegible] मौजा-बामनी [illegible] तहसील-सोजत में [illegible] नम्बर 03-4100 हैक्टेयर [illegible] खसरा नं० 98 [illegible] वादीगण के पूर्वजों [illegible] किशनाराम [illegible] पुत्र [illegible] की वंशावली अनुसार [illegible] (पोता) मूलचन्द (पोता) के [illegible] P.T.O. उप खण्ड अधिकारी सोजत (जिला-पाली) राज	

माणक लाल (फौत) रामलाल व नेमाराम पुत्रान श्री माणक लाल फौत हो चुके हैं, के पुत्रान किशनु, राजेन्द्र, पुखराज, मुकेश तथा मीनाक्षी पत्नी श्री रामलाल (फौत) व कमली पत्नी तथा [illegible] है उक्त विवादग्रस्त कृषि भूमि के पूर्वज नेमाराम, परसराम व हेमाराम पिता कोजूराम कौम-कुम्हार सा. सोजत, खातेदार थी। बन्दोबस्त विभाग की मिसल बन्दोबस्त संवत 2033 से 2052 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की है। संवत 2033 से 2052 में पूर्व खातेदार विभाजन प्रस्ताव प्रपत्र माननीय एस.आर.ओ. ऑफिसर कैम्प-सोजत के समक्ष प्रस्तुत किया, के मिसल नम्बर 724/78 में माननीय एस.आर.ओ. साहब के आदेशानुसार विभाजन प्रस्ताव अनुसार मिसल बन्दोबस्त में वादग्रस्त कृषि भूमि का रकबा में वादीगण के पूर्वज नेमाराम पुत्र कोजूराम का 1/3 हिस्सा दर्ज किया गया। तत्पश्चात जमाबन्दी संवत 2033 से 2052 के खातेदार के कॉलम में नेमाराम, पारसराम, हेमाराम पिता कोजूराम रकबे में दर्ज है। तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा एस.आर.ओ. साहब के मासिक आदेश मिसल संख्या 724/78 की पालना में जमाबन्दी में खातेदारान के नाम सही थे। लेकिन जमाबन्दी में [illegible] कोजूराम के स्थान पर जोगाराम 1/3, नेमाराम पुत्र कोजूराम, हेमाराम 1/3 पिता कोजूराम का गलत इन्द्राज पारसमल 1/3, हेमाराम 1/3 पिता [illegible] जोगाराम का सही कर दिया। पूर्वज / पिता [illegible] 2033-2052 की जमाबन्दी में उपरोक्तानुसार हुआ गलत इन्द्राज होता रहा जबकि वादीगण के पिता (पूर्वज) नेमाराम पुत्र कोजूराम ही है जोगाराम पुत्र कोजूराम काल्पनिक नाम का वादीगण के पूर्वज अपनी [illegible] है तथा न ही है। वादीगण के पूर्वज पिता के जोगाराम पुत्र कोजूराम इन्द्राज से वादीगण को किसान कार्ड बनाने व अन्य पारिवारिक सरकारी योजनाओं [illegible] से वादीगण वंचित है। धारा 80(2) CPC का प्रावधान [illegible] के बिना वाद पेश करने की अनुमति पेश कर [illegible] की गई। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादीगण [illegible] वाद-पत्र मय शपथ-पत्र मय दस्तावेजात पेश कर [illegible] किये जाने बाबत [illegible] माणिक लाल वाद [illegible] ग्राम सोजत में [illegible] खसरा नम्बर 98 रकबा 03=4100 हैक्टेयर [illegible] कृषि भूमि के खातेदार [illegible] में वादीगण [illegible] जोगाराम पुत्र कोजूराम के पिता के गलत [illegible] व सही नाम नेमाराम पुत्र के स्थान पर वास्तविक [illegible] दर्ज किये जाने की घोषणा कोजूराम [illegible] इन्द्राज किये जाने [illegible] की जावे [illegible] इन्द्राज [illegible] किये जाने की [illegible] इस पर राजस्व वाद [illegible] दर्ज [illegible] जारी कर [illegible] किया जावे। प्रतिवादी तहसीलदार, सोजत तलब किया गया। प्रतिवादी [illegible] दिनांक 30-07-2019 को [illegible] पेश कर वाद में [illegible] विवादग्रस्त कृषि भूमि [illegible] पत्रावली [illegible] स्वीकार किया है [illegible] वादीगण के पूर्वज [illegible] दस्तावेजात अधिवक्ता [illegible] साक्ष्य [illegible] लगातार—

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

...हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मय वादीगण एवं पेश कर सिद्ध करें, के तहत संकलित किए गए जवाबदावा प्रति० तहसीलदार, [illegible] साबित [illegible] किया गया, प्रतिवादी अधिवक्ता वादीगण को दिनांक [illegible], सा० [illegible] है। आधिवक्ता वादीगण ने वाद-पत्र में वर्णित तथ्यों की ताईद/ बतौर साक्ष्य मय वादी [illegible] एवं गवाह [illegible] [illegible] के शपथ-पत्र मोहनलाल, [illegible] व [illegible] के हस्ताक्षरयुक्त शपथ-पत्र पेश किए, सा० [illegible] किए गए। वाद-पत्र में वर्णित तथ्यों के समर्थन में जमाबन्दी अनुसंधान विभाग की जमाबन्दी सम्वत् 2033-52, [illegible] बन्दोबस्त सम्वत् 2033-52 के वास्तविक नाम [illegible] 1/3 [illegible] 1/3 [illegible] 1/3 पि० [illegible] संकलन है, जमाबन्दी सम्वत् 2046-49, [illegible] प्रमाण-पत्र [illegible] की जमाबन्दी, दिनांक 13-10-14, 23-02-2010, 10/96, दि० 22-03-2012, आधार कार्ड सं० 448368398780, 868871883274, 698179882827, 282706806024, 960978731878, 8193851[illegible]38, 864522703355, 444955855593, 763504346570, 388685141779, दस्तावेजात पेश किए हैं। प्रस्तुत वाद-पत्र में वर्णित तथ्यों को देखते हुए प्रस्तुत उक्त दस्तावेजात अनुसार ही [illegible] संयुक्त [illegible] एवं [illegible] अनुसार वाद प्रकरण में [illegible] की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। [illegible] एवं प्रति० तहसीलदार, [illegible]	
	बहस अधिवक्ता वादी एवं प्रति० [illegible] सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण ने वाद-पत्र के संलग्न दस्तावेजात व [illegible] प्रस्तुत किए के बतौर [illegible] शपथ-पत्रों प्रस्तुत किए व [illegible] बन्दोबस्त में वादीगण के पूर्वज/ पिता अनुसार [illegible] रिकार्ड में वादीगण के साथ [illegible] [illegible] के [illegible] 1/3 व [illegible] 1/3 के [illegible] अनुसार सही व [illegible] पारसमल [illegible] प्रस्ताव अनुसार [illegible] जमाबन्दी पुत्र [illegible] विभाजन किया। तत्पश्चात् [illegible] जमाबन्दी में सही [illegible] वास्तविक [illegible] सम्वत् 2033-52 की जमाबन्दी [illegible] की पालना [illegible] किन्तु तत्कालीन पटवारी द्वारा जमाबन्दी [illegible] में [illegible] [illegible] की जमाबन्दी के स्थान पर गलत [illegible] पुत्र [illegible] के [illegible] [illegible] पुत्र [illegible] व [illegible] के संयुक्त हो [illegible] प्रस्तुत दस्तावेजात व शपथ-पत्रों अनुसार संयुक्त [illegible] प्रस्तुत शपथ-पत्र जारी [illegible] वाद स्वीकार किए जाने से वाद की [illegible] प्रतिवादी [illegible] किए जाने को [illegible] नहीं [illegible] जाकर स्वीकार [illegible] को कोई आपत्ति नहीं है।	
	पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र [illegible] एवं [illegible] सहित बतौर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं [illegible] का अध्ययन कर शपथ-पत्रों का गहनता पूर्वक अध्ययन व मनन किया गया। [illegible] उपरोक्त [illegible] के पश्चात [illegible] विभाग की [illegible]	
	P.T.O.	
	उप खण्ड अधिकारी [illegible] (जिला [illegible]) राज.	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	सम्वत् 2033-52 में नेमाराम, पारसमल हेमाराम दर्ज है, तत्पश्चात् जमाबन्दी में (सम्वत् 2033-52) प्रभारी के समक्ष नेमाराम 1/3 पारसमल 1/3 हेमाराम 1/3 पिo कोजूराम सही व वास्तविक दर्ज है किन्तु बाद जमाबन्दियों में गलत रूप से जोगाराम 1/3 पारसमल 1/3 हेमाराम 1/3 पिo कोजूराम दर्ज सम्भावित अबवश दर्ज कर दिया। वस्तुतः वादीगण के पूर्वज/पिता का गलत दर्ज नाम जोगाराम पुत्र कोजूराम के स्थान पर पुनः पूर्ववत् नेमाराम पुत्र कोजूराम दर्ज करवाया जाना वाद स्वीकार कर दुरुस्त किया जाना उचित समझता हूँ। — आदेश — अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अधिवक्ता मय वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा - बासनी मुआफ व हाल गोलावास तहसील - सोजत में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 98 रकबा 03=41 हैक्टर का उक्त राजस्व रिकार्ड में वादी के पूर्वज/पिता के वर्तमान राजस्व नेमाराम 1/3 पारसमल 1/3 का गलत इन्द्राज नेमाराम के स्थान पर (सही एवं हेमाराम 1/3 पिo कोजूराम के जोगाराम 1/3 पारसमल 1/3 वास्तविक प्रविष्टि) जोगाराम दर्ज हो गया, जो वास्तविक हेमाराम 1/3 पिo कोजूराम दर्ज हो गया है। अतः अबवश तत्समक्ष गलत इन्द्राज हो जाने से उक्त भूमि के खाता वाद-पत्र संयुक्त में गलत इन्द्राज जोगाराम 1/3 वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हेमाराम 1/3 पिo कोजूराम के स्थान पारसमल 1/3 हेमाराम 1/3 पिo कोजूराम से नेमाराम 1/3 पारसमल पर वास्तविक सही रूप से नेमाराम 1/3 पारसमल 1/3 हेमाराम 1/3 पिo कोजूराम दुरुस्त दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिया जाता है। डिक्री पर्चा इसके से मुताबिक किया जावे। तहसीलदार, सोजत को सि.पू. [illegible] की पर्चा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली [illegible] बाद तकमील [illegible] दाखिल दफ्तर [illegible] जमा हो। (राजेश मेवाड़) उपखण्ड अधिकारी, सोजत उप खण्ड अधिकारी सोजत (जिला-पाली) राज निर्णय आज दिनांक 30/09/2019 को मय इजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया। (राजेश मेवाड़) उपखण्ड अधिकारी, सोजत उप खण्ड अधिकारी सोजत (जिला-पाली) राज

सेवाम.

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

बइजलाश श्री राजेश मेवाड़ा (आर.ए.एस.)

वादी	बनाम	प्रतिवादी
मृतक नेमाराम पुत्र कोजुराम उर्फ कोजाराम के वारिस–	1.	सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।
1. सुन्दरलाल पुत्र स्व0 नेमाराम		
2. भीमाराम पुत्र स्व0 नेमाराम		
3. मृतक माणकलाल पुत्र स्व0 नेमाराम के वारिस–		
3/1 सीता देवी पत्नि स्व0 माणकलाल		
3/2 विष्णु पुत्र स्व0 माणकलाल		
3/3 राकेश पुत्र स्व0 माणकलाल		
3/4 मुकेश पुत्र स्व0 माणकलाल		
3/5 पुजा पुत्री स्व0 माणकलाल		
4. मृ0 रामलाल पुत्र स्व0 नेमाराम के वारिस–		
4/1 बबली पत्नि स्व0 रामलाल		
4/2 अजय पुत्र स्व0 रामलाल		
4/3 लक्ष्मी पुत्री स्व0 रामलाल जातियान कुम्हार निवासीगण सोजतसिटी, तह0 सोजत, पाली (राज0)		

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

राजस्व वाद संख्या :– 130/2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री गजेन्द्र परिहार अधिवक्ता वादीगण तथा सरकार जरिए तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) सोजत प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। कि सरहद मौजा बासनी मूथा पटवार हल्का आलावास तहसील सोजत में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 98 रकबा 3.4100 हैक्टर बा0अ0 के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी के पूर्वज/पिता का गलत इन्द्राज नेमाराम 1/3, पारसमल 1/3, हेमाराम 1/3 पि0 कोजूराम के स्थान पर (सही एवं वास्तविक प्रविष्टि) जोगाराम 1/3, पारसमल 1/3, हेमाराम 1/3 पि0 कोजूराम दर्ज हो गया, जो सद्भाविक भूलवश तत् समय गलत इन्द्राज हो गया है। अतः अब वाद पत्र संपुष्ट हो जाने से उक्त भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज जोगाराम 1/3, पारसमल 1/3, हेमाराम 1/3 पि0 कोजूराम के स्थान पर वास्तविक व सही रूप से नेमाराम 1/3, पारसमल 1/3, हेमाराराम 1/3 पि0 कोजूराम दुरूस्त दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सोजत को इस आदेश की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

|| ॐ ||

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 30.09.2019 को जारी की गई।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सोजत (पाली)

मददई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			
मददई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner